

2023/195

श्रीमान्जी

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक - पंजी0/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत एवं बन्द वसीयत को खुलवाने बाबत अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थी राम गोपाल पुत्र केसराराम जाति बावरी, निवासी 2 डी बड़ी ओड़की, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसान हेतु शपथपत्र, मूल रसीद व आई.डी. प्रूफ, एवं दो गवाहों के शपथ पत्र, आई.डी.प्रूफ पेश कर निवेदन किया है कि मेरी माता श्रीमती सजना देवी पत्नी केसरा राम जाति बावरी निवासी 2 डी बड़ी ओड़की, तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा बन्द वसीयत 11.10.2011 को करवाई गई थी उनका स्वर्गवास दिनांक 09.04.2023 को हो चुका है, उक्त बंद वसीयत को खोली जाकर पंजीकृत की जावे।

प्रार्थी को गवाह बिरमा देवी पत्नी आत्मा राम एवं किशन लाल पुत्र भीखा राम ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त अधिवक्ता श्री राकेश कुमार ने की है। अतः नियमानुसार एवं विधिसम्मत कार्यवाही से निर्धारित शुल्क जमा करवाकर सिल्ड पैकेट बंद लिफाफा खोलने हेतु आदेशार्थ प्रस्तुत है।

Sudhir
03/5/23

जिला पंजीयक महोदय

